UPKJ010066322026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, कन्नौज।
पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6489

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–323/2026

सलमान पुत्र सलाउद्दीन,
निवासी–जरारी, थाना जहानगंज, जनपद फर्रूखाबाद। **..........प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य **................अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–78/2026
धारा–319(1)बी०एन०एस व धारा 8(3), 13(5) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024
थाना–गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **सलमान पुत्र सलाउद्दीन** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उसको मुकदमा उपरोक्त में पुलिस से साजकर रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। उसने कोई जुर्म कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित होने का समय अंकित नहीं है तथा इण्टरमीडियट की परीक्षाओं का समय दोपहर दो बजे से पांच बजे तक का समय है। स्कीम समयानुसार रिपोर्ट को बिलम्ब से दर्ज करवाये जाने का उल्लेख वादी मुकदमा द्वारा नहीं बताया गया, जिससे कथानक में सन्देह पैदा होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से स्पष्ट है कि आन्तरिक सचल दल व केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा क्रास चेंकिंग मे प्रार्थी को पकड़ा गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट कालेज के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखाई गयी है तथा वर्तमान केन्द्र व्यवस्थापक व सचल दल के किसी भी कर्मचारी का नाम, पता न तो तहरीर में उल्लिखित है, न ही उन लोगों के द्वारा तहरीर दी जाती है। प्रार्थी महज अपने भाई मोहम्मद कैश को परीक्षा दिलाने हेतु गया था। तथा प्रार्थी के चाचा के चार विद्यालय चल रहे हैं. जिस कारण प्रधानाध्यापक व प्रार्थी/अभियुक्त के चाचा के मध्य मनमुटाव है। रंजिशन झूठे मुकदमे में प्रार्थी को फंसाया गया है। प्रार्थी को व विधार्थी मोहम्मद कैश को कालेज से कालेज के ही कर्मचारी थाना हाजा पर लाये थे, जिसमें संन्देह का कारण व राजनैतिक दबाव दोनों विधार्थी को फंसाने की साजिश की गयी है। **प्रार्थी/अभियुक्त कक्षा 11 का विधार्थी है।** प्रार्थी को छात्र जीवन पर मानसिक प्रभाव पढ़ सकता है। दी गयी तहरीर में प्रार्थी/अभियुक्त की पहचान कैसे की गयी, का उल्लेख वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, न ही सचल दल या वर्तमान केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कोई पहचान आई० डी० आदि प्रलेख दिया गया। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी व उसके बड़े भाई मोहम्म्द कैश को अपने घर पर सूचना नहीं देने दी। दोनों विधार्थियो का जीवन तबाह/बर्बाद करने की नीयत से गलत तथ्यों एवं षडयंत्र के तहत झूठी कहानी बनाकर अन्य तथ्यों के आधार पर दोषी बनाया गया। मोहम्मद कैश से प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम पेपर में यह कहा गय था कि तुम अपने अभिभावक को बुलाकर लाओगे, मोहम्मद कैश अपने छोटे भाई सलमान से वार्ता कराने हेतु बुला ले गया था। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई की शाम तक घर पर पहुंचने पर डायल 112 नम्बर व 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज करवायी थी। प्रार्थी घर परिवार वाला व्यक्ति है। दौरान मुकदमा रिहा होने पर फरार होने का प्रश्न पैदा नही होता। प्रार्थी दौरान मुकदमा जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की करें।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर अपराध है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी **राहुल भदौरिया** ने एक तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गुरसहायगंज को इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनाक 20.02.2026 को हमारे विद्यालय चौ० जयवीर सिंह इण्टर कालेज मिश्रापुर, जनपद कन्नौज केन्द्र सं० 1311 में इण्टर मीडिएट परीक्षा(अंग्रेजी) के प्रश्नपत्र में आज श्यामा देवी आदर्श जनता इण्टर कालेज नन्दपुर नौली, कन्नौज के कक्षा 12 के परीक्षार्थी मोहम्मद कैश पुत्र अलाउद्दीन सिद्दकी अनुक्रमाक–22661303357 है, के स्थान पर परीक्षा दे रहे सलमान पुत्र सलाउद्दीन पोस्ट जरारी थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद को विद्यालय के आन्तरिक सचल दल व केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा क्रास चैंकिग में पकड़ा गया है, उसने स्वयं स्वीकार भी किया है कि वह अपने भाई मोहम्मद कैश पुत्र अलाउद्दीन सिद्दकी अनुक्रमाक–22661303357 के स्थान पर परीक्षा देने आया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 के नियमावली के अनुसार उक्त छद्म परीक्षार्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपने भाई के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। **अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त को कक्षा 11 का छात्र होना कहा गया है।** अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **सलमान** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–78/2026, धारा–8(3), 13(5) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 थाना–गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उपरोक्त धनराशि की **दो प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि की दाखिल करने पर निम्न शर्तों के बावत अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये कि–

I. अभियुक्त के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

II. अभियुक्त जमानत का दुरूप्रयोग नहीं करेगा।

III. अभियुक्त प्रत्येक मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

उपरोक्त किसी शर्त के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपनी संतुष्टि पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर सकता है।

दिनांक–13.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
(J.O.CODE No–UP 6489)